रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-24092025-266370
CG-CG-E-24092025-266370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4229] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2025/आश्विन 2, 1947
No. 4229] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2025/ASVINA 2, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 22 सितंबर, 2025

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड़ के अंतर्गत सूचना

का.आ. 4347(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) कि धारा 20 क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 28 जुलाई 2025 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) की अधिसूचना संख्या का.आ. 3471(अ), 25 जुलाई, 2025 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट को महाराष्ट्र राज्य के गडचिरोली जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात राजनंदगांव–नागपुर तीसरी लाइन (228 कि.मी.) छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र, के निष्पादन, अनुरक्षन, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रो, अर्थात भवानी टाईम्स, गोंदिया तारीख 08 अगस्त, 2025 एवं दैनिक कशिश तारीख 08 अगस्त, 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी को आक्षेप प्राप्त हुए थे; सक्षम अधिकारी द्वारा उन आक्षेपों की सुनवाई की गयी एंव उक्त अधिनियम की धारा 20घ के अनुसरण में आदेश पारित कर दिये गए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए, यह घोषणा करती है कि उपाबद्ध अनुसूची भूमि विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

अतः यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड़ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले में विषेष रेल परियोजना अर्थात राजनंदगांव–नागपुर तीसरी लाइन (228 कि.मी.) छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

राजनंदगांव–नागपुर तीसरी लाइन (228 कि.मी.) छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र प्रकल्प

अ. क्र.	जिले का नाम	तहसिल का नाम	गाव का नाम	खातेदार का नाम व पता	सर्व्हे कमांक	भोगवटदार वर्ग	7/12 आराजी हे. आर	संपादनखालील क्षेत्र हे. आर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	गोंदिया	आमगांव	जवरी	श्री. नरेंद्र भैयालाल डोंगरे व इतर	28/1	1	2.03	0.02
2				श्री. दिनेश हिरालाल भांडारकर व इतर	114/1	1	0.89	0.06
3				श्री. उमेश विश्वनाथ मेश्राम व इतर	137/2	1	0.93	0.03
						कुल		0.11

[फा. सं. डीसीई/सी/एन.जी.पी./आर.जे.एन.–एन.जी.पी. तीसरी लाइन/20 इ]

आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 22nd September, 2025

Notice under Section 20E of the Railway Act, 1989

S.O. 4347(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South East Central Railway), number S.O. 3471(E), dated the 25 July, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, Sub-section (ii), dated the 28 July, 2025 and issued under sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (here in after referred as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely "Rajnandgaon-Nagpur 3rd line (228 Km.) Chhattisgarh and Maharashtra" in the District of Gondia in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, Bhawani Times of dated 08 August, 2025 & Dainik Kshish of dated 08 August, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, objections were received; Competent Authority has heard the objections and orders have been passed in terms of section 20 D of the said act;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in the pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Govt. hereby declares that on publication of the notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, Rajnandgaon-Nagpur 3rd line (228 Km.) Chhattisgarh and Maharashtra in Gondia District in the State of Maharashtra :-

Rajnandgaon-Nagpur 3rd line (228 Km.) Chhattisgarh and Maharashtra Project								
Sl. No.	**Name of District**	**Name of Taluka**	**Name of Village**	**Name of Account holder & Address**	**Survey Number**	**Category of Land holding**	**Total area as per 7/12 (Ha)**	**Acquisition Area in (H.R./Sq.M)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Gondia	Amgaon	Javri	Shri. Narendra Bhayalal Dongre & Others	28/1	1	2.03	0.02
2				Shri. Dinesh Hiralal Bhandarkar & Others	114/1	1	0.89	0.06
3				Shri. Umesh Viswanath Meshram & Others	137/2	1	0.93	0.03
						Total		**0.11**

[F. No. DCE/C/NGP/RJN-NGP 3rd line /20E]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer (Con)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.09.24 23:06:05 +05'30'